झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0** **श्रीमती सीता सोरेन स0वि0स0**	विदित हो कि सम्पूर्ण राज्य में ऑनलाईन के माध्यम से जाति, आवास, आय, वोटर कार्ड आदि निर्गत किये जा रहे है। ग्राम- नारायणपुर, पो0- आगलोई, थाना- बरहरवा, जिला- साहेबगंज के आम ग्रामीणों को अंचल एवं प्रखण्ड से ऑफलाईन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में उक्त पता का उल्लेख किया जाता है जो सही है। विभिन्न प्रमाण-पत्र में भिन्न-भिन्न यथा वोटरकार्ड में ग्राम आगलोई, पो0- आगलोई, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र में ग्राम- नारायणपुर ग्राम- आगलोई, ग्राम पंचायत आगलोई, आय प्रमाण-पत्र में ग्राम नारायणपुर, पो0- आगलोई, ग्राम- आगलोई, ग्राम पंचायत- आगलोई का उल्लेख है। ऑफलाईन तथा ऑनलाईन निर्गत प्रमाण-पत्रों में एकरूपता नहीं रहने के कारण बैंक में खाता खोलने, पासपोर्ट बनाने, विभिन्न शिक्षण संथानों में आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।	**ग्रामीण विकास**

01.	02.	03.	04.
		अतः आम जनता की परेशानियों को देखते हुए खतियान, पर्चा, दलील आदि में दर्ज पता के आधार पर प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
02-	**श्री राज सिन्हा स0वि0स0** **श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0** **श्रीमती पुष्पा देवी स0वि0स0**	कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत गढ़वा जिला के चार गाँव फेफसा, भूमफोर, थुरू एवं पारसपानी डूब क्षेत्र में आ रहे है, जिससे इस गाँव के 115 परिवार प्रभावित होगें। उत्तर प्रदेश ने डैम में इस साल जून में पानी भरने की सूचना दी है। उल्लेखनीय है कि मुआवजे की 70 करोड़ की राशि चार वर्ष से पड़ी हुई है, जिसका भुगतान नहीं किया जा सका है। यदि जून, 2022 तक प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी तो यह लैप्स हो जायेगी जिसका भुक्तभोगी 115 परिवार के सभी लोग बनेंगे और भुखमरी के शिकार हो जायेंगे। अतः लोकमहत्त्व के इस प्रश्न पर त्वरित गति से आवश्यक कार्रवाई लेते हुए सरकार चालू वित्तीय वर्ष के जून से पहले प्रभावित लोगों के मुआवजे की राशि का भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	**जल संसाधन**
03-	**श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0** **श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0** **श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0**	हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 मे छःलेन पथ का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें बरकट्ठा मौजा के खाता सं0-375 कैशरे हिन्द भूमि एवं परवत्ता मौजा के खाता सं0- 85 प्लॉट-2836 व अन्य रैयती जमीन का अधिग्रहण उक्त पथ के चौड़ीकरण एवं ओवर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु किया जा रहा है। जमीन के साथ-साथ मकान, दूकान आदि को भी तोड़ने का आदेश निर्गत किया गया है, जबकि प्रभावित व्यक्तियों को अबतक अधिग्रहित जमीन एवं मकान का मुआवजा भुगतान अबतक नहीं किया गया, जबकि सरकार का	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		स्पष्ट प्रावधान है कि रैयती जमीन एवं उस पर निर्मित मकान व अन्य परिसंपति तथा कैशरे हिन्द एवं गैर मजरूआ खास भूमि पर बने मकान एवं भवन को अधिग्रहित अथवा तोड़ने पर मुआवजा भुगतान करते हुए कार्य प्रारंभ करने का स्पष्ट प्रावधान है, फिर सारे नियम को दरकिनार कर स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना मुआवजा का भुगतान किये ही जमीन एवं मकान का अधिग्रहण करते हुए मकान एवं दूकान आदि भवनों को तोड़ा जा रहा है। अतः व्यापक लोकहित में अधिग्रहण किये गये मौजा बरकट्ठा के कैशरे हिन्द भूमि पर निर्मित मकान, भवन तथा मौजा परवत्ता के रैयती जमीन एवं मकान, दूकान का मुआवजा भुगतान अविलंब करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	
04-	**श्री विकास कुमार मुण्डा स0वि0स0**	राष्ट्र हित में कई सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर किये है, कुछ नाम, कुछ स्थल अमर हो गए तो कुछ बीते वक्त के साथ पीछे रह गए, इन्हीं पीछे रह गए स्मारकों में से एक है खूँटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित डोम्बारी बुरू। जालियाँ वाला बाग हत्याकांड से 20 वर्ष पूर्व 1899 में भगवान बिरसा के सैकड़ों अनुयाई डोम्बारी पहाड़ पर बैठक कर रहे थे जहाँ अंग्रेजों ने उन्हें घेर कर ताबड़-तोड़ गोलियाँ चलानी शुरू कर दी और अगले कुछ ही पलों में पारम्परिक हथियारों से लड़ते हुए सैकड़ों बच्चे, महिलाएं समेत लोग शहीद हो गए। हमारा दुर्भाग्य है कि आज समस्त देश तो दूर समस्त झारखण्ड के लोग इस घटना से अंजान है और वजह है कि आज तक कभी इस स्थल को जालियाँ वाला बाग हत्याकांड स्थल के समान भव्य स्मारक बनाने की कोशिश नहीं कि गई, जानकारी के अनुसार 1990 में विशु मुंडा ने 80 डिसमिल अपना जमीन इस स्मारक	**पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य**

01.	02.	03.	04.
		स्थल को दिया था जिसका मुआवजा आज तक उन्हें नही मिला है। राज्यहित में मेरी हार्दिक आकांक्षा है कि " डोम्बारी बुरु" को अन्य भव्य स्मारकों के तर्ज पर विकसित करने के साथ इस घटना को प्रमुखता से पाठ्यक्रमों में शामिल की जाए जाति समस्त देशवासी डोम्बारी बुरु के शहीदों की शौर्यता को जान पाए। इस ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
05–	श्री केदार हजरा स0वि0स0	गिरिडीह जिलें में बिहार भू–दान यज्ञ समिति एवं झारखण्ड राज्य भू–दान यज्ञ समिति द्वारा भूमिहीन गरीब अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा पट्टा के माध्यम से जमीन दी गई थी लेकिन भू–माफियाओं द्वारा पट्टाधारकों की जमीन पर अबतक अवैध कब्जा है। जिसके कारणर गरीब भूमिहीन प्रभावित हो रहा है। अतः मैं सरकार से पट्टाधारकों के जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करवाकर पट्टाधारक को जमीन वापस दिलाने की माँग करता हूँ।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक– 23 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–1575/वि0 स0, राँची, दिनांक–22/3/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–1575/वि0 स0, राँची, दिनांक–22/3/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

22/03/22